भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 198

उत्तर देने की तारीख 29.01.2026

जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन

198. श्री राजीव रायः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ठोस योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने में अब तक कितनी सफल रही है; और

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्य नीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास हेतु प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की गई निधियों के साथ-साथ योजनाओं का विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफ़ाइल के विवरण 10ख में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

वर्ष 2023-24 के लिए विवरण 10(ख) : https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/eb/stat10b.pdf

वर्ष 2024-25 के लिए विवरण 10(ख) : https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/stat10b.pdf

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (2011 की जनगणना) के अनुपात में, कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौरा https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण, मंत्रालय द्वारा राज्य-वार निधि आवंटन और वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान की गई वास्तविक प्रगति का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

प्रशासनिक आंकड़ों से प्राप्त सूचना और मंत्रालयों/विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर बेहतर हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) पर जीईआर वर्ष 2013-14 में 91.33% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 99.5% हो गया है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर यह वर्ष 2013-14 में 70.2% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 81.30% हो गया है और सीनियर माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर यह वर्ष 2013-14 में 35.44% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 51.90% हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्चत्तर शिक्षा में जीईआर वर्ष 2013-14 में 11.3% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 21.2% हो गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण के तहत लगभग 85.31 लाख अनुसूचित जनजाति के लोगों ने आवासों के लिए पंजीकरण कराया है। अभी तक इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 84.33 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 63.31 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

- अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 2011-12 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1122 रुपये और 2193 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3363 रुपये और 6030 रुपये हो गया है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) - 2023-24 के अनुसार)।

- वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 40.0% था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 52.0% हो गया (स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई)

- वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रम बल भागीदारी अनुपात (एलएफपीआर) 41.8% था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 53.0% हो गया। (स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई)

 डीएपीएसटी आवंटन 2013-14 के 24594.45 करोड़ रुपये से 5 गुना बढ़कर 2024-25 में 123232.61 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले पांच वर्षों में डीएपीएसटी निधियों का उपयोग निरंतर अधिक रहा है, जो संशोधित अनुमान के 92% से अधिक है।

अनुलग्नक

"जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के भाग (क) से भाग (ग) तक के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आजीविका के अवसर प्रदान करना हैं। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित और घोषित करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य, निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत् संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना का विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उत्पादों (एमएफपी)/गैर-कृषि उत्पादों का अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से

अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से, 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (शीर्ष श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदन-प्रदान यात्राएँ, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने हेतु टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्तपोषित है।

पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार निधियों का आवंटन इस प्रकार है:

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार जारी निधि (31.12.2025 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार		0.1
2	आंध्र प्रदेश	57	30.77
3	अरुणाचल प्रदेश		
4	असम	1.88	1
5	बिहार		
6	छत्तीसगढ़	52.5	
7	डीएनएच और डीडी		
8	गोवा	0.53	0.36
9	गुजरात	62	9.23
10	हिमाचल प्रदेश	1.1	
11	जम्मू एवं कश्मीर		
12	झारखंड	57	
13	कर्नाटक	34	7
14	केरल	4.36	1
15	लद्दाख		0.4
16	मध्य प्रदेश		53.05
17	मणिपुर		
18	मेघालय		0.7
19	मिजोरम	3.07	
20	नागालैंड		
21	ओडिशा		29.5

22	पुदुचेरी		
23	राजस्थान		22.36
24	सिक्किम		
25	तमिलनाडु	3.62	0.6
26	तेलंगाना	1.5	0
27	त्रिपुरा		6.92
28	उत्तर प्रदेश		
29	उत्तराखंड	0.15	0.7
30	पश्चिम बंगाल	29.89	
	कुल	**308.6**	**163.69**

*अनंतिम

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार जारी निधि (31.12.2025 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.1
2	आंध्र प्रदेश	114.71	120
3	अरुणाचल प्रदेश	80	100
4	असम	35	79.71
5	बिहार		4.43
6	छत्तीसगढ़	71.25	70
7	डीएनएच डीडी	4.04	4.9
8	गोवा	5.27	5
9	गुजरात	350	231.22
10	हिमाचल प्रदेश		5
11	जम्मू एवं कश्मीर	7.46	9.95
12	झारखंड	53.11	200
13	कर्नाटक	225.56	125
14	केरल	46.89	29
15	लद्दाख	5.96	35
16	मध्य प्रदेश	350	250
17	महाराष्ट्र	570.36	117.81
18	मणिपुर	30	25
19	मेघालय	85	145.08
20	मिजोरम	25	24
21	नागालैंड	35	62
22	ओडिशा	135.64	294

23	पुदुचेरी		0
24	राजस्थान	220	350
25	सिक्किम		6
26	तमिलनाडु	20	25
27	तेलंगाना	112.5	152.5
28	त्रिपुरा	40	74.94
29	उत्तर प्रदेश	10	15
30	उत्तराखंड	1.88	2.7
31	पश्चिम बंगाल	34.06	35
	कुल	**2668.69**	**2598.34**

*अनंतिम

पीएम-जनमन के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को एमपीसी के लिए जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	14.97	5.00
2	छत्तीसगढ़	8.52	0.00
3	गुजरात	1.66	4.37
4	झारखंड	0.62	1.50
5	कर्नाटक	3.33	10.26
6	केरल	2.29	0.00
7	मध्य प्रदेश	25.99	0.00
8	महाराष्ट्र	12.47	5.00
9	ओडिशा	12.68	23.92
10	राजस्थान	3.33	3.44
11	तमिलनाडु	5.20	20.67
12	तेलंगाना	2.91	13.24
13	त्रिपुरा	4.57	7.50
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.00
15	उत्तराखंड	0.62	4.78
	कुल	**99.99**	**99.68**

*अनंतिम

“पीवीटीजी का विकास” योजना के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
3	बिहार	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0
5	गुजरात	0	0
6	झारखंड	0	0
7	कर्नाटक	0	0
8	केरल	0	0
9	मध्य प्रदेश	0	0
10	महाराष्ट्र	0	0
11	मणिपुर	0	0
12	ओडिशा	0	0
13	राजस्थान	0	0
14	तमिलनाडु	0	2723.11
15	तेलंगाना	0	2746.87
16	त्रिपुरा	0	207.95
17	उत्तर प्रदेश	0	0
18	उत्तराखंड	0	0
19	पश्चिम बंगाल	0	1631.05
	कुल	**0**	**7308.98**

*अनंतिम

एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में वितरित ऋण की राशि

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25*
		संवितरित राशि	संवितरित राशि
1	आंध्र प्रदेश	5551.49	6039.21
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	25.77	17.88
4	असम	40.02	24.24
5	बिहार	3.06	0.00
6	छत्तीसगढ़	227.29	499.43
7	दादरा एवं नगर हवेली	4.55	0.00
8	गोवा	0.22	0.00
9	गुजरात	2810.12	4931.39
10	हरियाणा		0.00
11	हिमाचल प्रदेश	2.19	30.60
12	जम्मू एवं कश्मीर	295.19	1102.49
13	झारखंड	684.25	247.45
14	कर्नाटक	853.41	1854.44
15	केरल	446.74	684.80
16	लक्षद्वीप		73.53
17	मध्य प्रदेश	1759.58	1660.72
18	महाराष्ट्र	2523.52	567.76
19	मणिपुर	235.49	102.80
20	मेघालय	475.91	298.09
21	मिजोरम	6856.69	6948.28
22	नागालैंड	1199.77	627.08
23	ओडिशा	362.35	883.56
24	राजस्थान	712.22	130.16
25	सिक्किम	34.23	201.63
26	तमिलनाडु	3265.67	1210.39
27	तेलंगाना	3218.52	5174.31
28	त्रिपुरा	2014.62	1695.98
29	उत्तराखंड	32.59	1.92
30	उत्तर प्रदेश	3.37	85.81
31	पश्चिम बंगाल	1526.59	2233.75
	कुल	**35165.42**	**37327.70**

*अनंतिम

पिछले 2 वर्षों के दौरान टीएसएस को एससीए /पीएमएएजीवाई के तहत राज्य-वार जारी निधि

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25*
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	7182.38	5186.19
4	बिहार	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
6	डीएनडीडी	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00
11	लद्दाख	0.00	0.00
12	झारखंड	0.00	0.00
13	कर्नाटक	0.00	0.00
14	केरल	61.19	30.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00
17	मणिपुर	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00
19	मिजोरम	1112.009	1468.00
20	नागालैंड	0.00	3827.44
21	ओडिशा	3044.42	0.00
22	राजस्थान	0.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	855.805	461.37
25	तेलंगाना	0.00	1646.00
26	त्रिपुरा	2737.23	0.00
27	उत्तराखंड	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
	कुल	**14993.04**	**12619.00**

*अनंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी निधि को दर्शाने वाला विवरण (05.06.2025 तक)			लाख रुपये में
क्र.सं.	**राज्य**	**2023-24**	**2024-25***
		कुल निर्मुक्ति	**कुल निर्मुक्ति**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	9841.55
2	अरुणाचल प्रदेश	6740.00	10030.00
3	असम	3294.12	4286.23
4	बिहार	871.24	524.00
5	छत्तीसगढ़	15676.77	14506.46
6	गोवा	150.00	479.91
7	गुजरात	4584.77	2727.27
8	हिमाचल प्रदेश	1696.45	2244.23
10	झारखंड	14299.82	5147.06
11	कर्नाटक	4070.00	4730.26
12	केरल	1910.44	395.81
13	मध्य प्रदेश	15741.70	9183.585
14	महाराष्ट्र	0.00	0.00
15	मणिपुर	2456.35	1981.32
16	मेघालय	3127.29	2217.40
17	मिजोरम	2897.97	2143.80
18	नागालैंड	5020.11	2050.50
19	ओडिशा	6870.56	10107.95
20	राजस्थान	8940.07	4626.61
21	सिक्किम	1754.38	4485.06
22	तमिलनाडु	650.49	2019.665
23	तेलंगाना	5169.00	13797.00
24	त्रिपुरा	4226.39	4151.82
25	उत्तर प्रदेश	1353.63	1829.90
26	उत्तराखंड	964.05	0.00
27	पश्चिम बंगाल	4744.40	3549.61
कुल योग		**117210.00**	**117057.00**

*अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान जारी की गई निधि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	92.19	249.08
2	अरुणाचल प्रदेश	205.74	639.09
3	असम	121.75	284.47
4	छत्तीसगढ़	140.64	250.83
5	दिल्ली	-	17.42
6	गुजरात	299.17	338.79
7	हिमाचल प्रदेश	437.22	578.27
8	जम्मू और कश्मीर	-	49.28
9	झारखंड	918.76	2666.31
10	कर्नाटक	247.33	520.86
11	केरल	7.53	186.75
12	लद्दाख	84.54	181.79
13	मध्य प्रदेश	975.56	1438.54
14	महाराष्ट्र	1047.53	1550.50
15	मणिपुर	406.09	657.29
16	मेघालय	914.83	2017.34
17	मिजोरम	38.69	158.85
18	ओडिशा	4095.84	2885.48
19	राजस्थान	217.68	498.95
20	सिक्किम	53.16	117.11
21	तमिलनाडु	377.29	189.10
22	तेलंगाना	96.98	208.03
23	त्रिपुरा	42.09	186.63
24	उत्तर प्रदेश	51.03	140.36
25	उत्तराखंड	44.30	98.68
26	पश्चिम बंगाल	1167.79	1390.18
	कुल	**12083.71**	**17500.00**

*अनंतिम

'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत 2023-24 से 2024-25 के दौरान जारी की गई धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	125.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	48.63	150.00
4	असम	0.00	270.00
5	बिहार	0.00	99.00
6	छत्तीसगढ़	250.00	1100.00
7	गोवा	50.57	200.00
8	गुजरात	0.00	250.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	125.00
10	जम्मू और कश्मीर	770.85	100.00
11	झारखंड	417.03	200.00
12	कर्नाटक	0.00	200.00
13	केरल	0.00	300.00
14	लद्दाख	0.00	99.00
15	मध्य प्रदेश	143.08	600.00
16	महाराष्ट्र	0.00	250.00
17	मणिपुर	0.00	140.00
18	मिजोरम	550.00	723.14
19	नागालैंड	400.00	600.00
20	ओडिशा	600.00	600.00
21	राजस्थान	0.00	0.00
22	सिक्किम	0.00	200.00
23	तमिलनाडु	25.00	300.00
24	तेलंगाना	0.00	1300.00
25	त्रिपुरा	25.00	300.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
28	मेघालय	0.00	100.00
29	उत्तराखंड	948.01	793.86
	कुल	**4353.17**	**9000.00**

*अनंतिम

पिछले 2 वर्षों के दौरान ईएमआरएस के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	10,795.05	23,663.34
2	अरुणाचल प्रदेश	693.91	2,004.18
3	असम	2,732.67	10,654.29
4	बिहार	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	15,888.89	87,116.18
6	दादरा एवं नगर हवेली	163.45	335.72
7	गुजरात	15,667.55	27,426.87
8	हिमाचल प्रदेश	829.76	1,573.21
9	जम्मू एवं कश्मीर	891.40	824.01
10	झारखंड	23,915.13	64,433.10
11	कर्नाटक	2,677.67	7,931.89
12	केरल	249.00	1,252.21
13	लद्दाख	800.00	17.41
14	मध्य प्रदेश	13,157.19	37,322.68
15	महाराष्ट्र	8,525.91	30,480.89
16	मणिपुर	3,044.92	2,408.14
17	मेघालय	21,014.66	31,442.72
18	मिजोरम	1,242.52	14,602.86
19	नागालैंड	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	48,934.80	64,195.55
21	राजस्थान	13,687.79	14,316.06
22	सिक्किम	1,118.83	1,058.36
23	तमिलनाडु	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	14,276.17	16,804.36
25	त्रिपुरा	6,670.35	11,718.41
26	उत्तर प्रदेश	624.14	1,379.74
27	उत्तराखंड	1,537.53	3,856.71
28	पश्चिम बंगाल	1,869.70	1,789.50
	कुल	**2,30,494.85**	**4,61,079.71**

*अनंतिम

पीएम जनमन के लिए राज्य-वार निधि प्रगतिः

पीएम जनमन प्रगति-लाइन मंत्रालय द्वारा 31.03.2025 तक स्वीकृति विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		एमओजेएस (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)
		स्वीकृत मकान	पूर्ण हुए मकान	स्वीकृत सड़कें (कि.मी. में)	पूरा हुआ (किमी में)	स्वीकृत गांव	संतृप्त गाँव	स्वीकृत एवं संचालित एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र	चालू आंगनवाड़ी केंद्र	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	41935	482	612.718	0	1859	380	141	266	139	8
2	छत्तीसगढ़	27577	6141	2449.108	166	1407	341	58	174	30	31
3	गुजरात	10871	3128	1.55	2	572	572	17	67	67	5
4	झारखंड	34637	1138	126.05	4	2502	473	55	386	111	10
5	कर्नाटक	1100	24	63.756	0	439	192	5	22	20	1
6	केरल	661	6	0	0	96	1	24	7	7	4
7	मध्य प्रदेश	172045	56766	1835	101	4519	1393	74	572	217	51
8	महाराष्ट्र	43538	3231	50.14	0	2520	1287	84	145	145	13
9	ओडिशा	35750	9957	147.87	0	1103	559	50	90	58	30
10	राजस्थान	21029	3440	98.687	0	337	36	6	51	12	4
11	तमिलनाडु	9004	2318	0	0	1370	1212	105	34	34	8
12	तेलंगाना	0	0	66.98	0	300	300	22	85	4	8
13	त्रिपुरा	17241	9390	203.11	0	251	28	6	141	88	14
14	उत्तर प्रदेश	145	95	0	0	7	4	2	1	1	2
15	उत्तराखंड	1941	1417	0	0	115	78	24	7	6	3
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	414	79	14	0	0	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

18	मणिपुर	1711	0	0	0	27	2	0	42	42	2
19	बिहार	0	0	0	0	33	32	0	49	49	0

क्र. सं.	राज्य का नाम	एमओपी (आरडीएसएस)		एमएनआरई		एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		एचएच स्वीकृत	एचएचएस विद्युतीकृत	एचएच स्वीकृत	एचएचएस विद्युतीकृत	कवरेज के लिए नियोजित बस्ती (संख्या)	कवर की गई बस्तियाँ (संख्या)	एमपीसी स्वीकृत (संख्या)	वीडीवीके स्वीकृत (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	25054	24614	1675	105	1545	1005	125	73
2	छत्तीसगढ़	7077	6461	1578	687	187	74	75	16
3	गुजरात	6626	6626	0	0	48	28	39	21
4	झारखंड	12442	1247	2342	842	519	430	113	35
5	कर्नाटक	1615	1444	179	174	36	27	74	33
6	केरल	345	312	98	0	52	30	15	7
7	मध्य प्रदेश	29290	11296	2060	0	203	73	125	83
8	महाराष्ट्र	8556	9216	0	0	317	180	121	40
9	ओडिशा	2866	1326	0	0	443	133	74	43
10	राजस्थान	17633	15945	0	0	4	3	18	50
11	तमिलनाडु	10673	5089	0	0	158	103	60	37
12	तेलंगाना	3884	3884	326	126	97	36	73	25
13	त्रिपुरा	11664	11692	1703	0	57	48	50	30

14	उत्तर प्रदेश	316	195	0	0	5	2	5	5
15	उत्तराखंड	669	669	0	0	1	1	15	5
16	पश्चिम बंगाल	3372	3372	0	0	6	3	0	0
17	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	1
18	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	11	2
19	बिहार	51	0	0	0	0	0	7	0
कुल योग		142133	103388	9961	1934	3679	2177	1000	506

राज्य-वार स्वीकृत और कार्यात्मक ईएमआरएस की संख्या (31.12.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ईएमआरएस स्वीकृत	ईएमआरएस कार्यात्मक
1	आंध्र प्रदेश	28	28
2	अरुणाचल प्रदेश	10	5
3	असम	17	6
4	बिहार	3	2
5	छत्तीसगढ़	75	75
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
7	गुजरात	47	44
8	हिमाचल प्रदेश	4	4
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	6
10	झारखंड	91	51
11	कर्नाटक	12	12
12	केरल	4	4
13	लद्दाख	3	
14	मध्य प्रदेश	71	63
15	महाराष्ट्र	39	37
16	मणिपुर	21	5
17	मेघालय	37	2
18	मिजोरम	17	11
19	नागालैंड	22	3
20	ओडिशा	111	47
21	राजस्थान	31	31
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडु	8	8
24	तेलंगाना	23	23
25	त्रिपुरा	21	12
26	उत्तर प्रदेश	4	3
27	उत्तराखंड	4	4
28	पश्चिम बंगाल	9	8
कुल		**723**	**499**

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(शैक्षणिक वर्ष 2023-24)*	(शैक्षणिक वर्ष 2024-25)*
1	अंडमान और निकोबार	173	281
2	आंध्र प्रदेश	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	2852	2831
4	असम	4353	8075
5	बिहार	8451	15139
6	छत्तीसगढ़	44837	27171
7	डीएनएच और डीडी	1273	1162
8	गोवा	1670	1698
9	गुजरात	121083	124886
10	हिमाचल प्रदेश	2616	3260
11	जम्मू एवं कश्मीर	2548	8371
12	झारखंड	114519	129142
13	कर्नाटक	97191	104211
14	केरल	8331	10980
15	लद्दाख	2228	2029
16	मध्य प्रदेश	259997	212347
17	मणिपुर	3470	3916
18	मेघालय	5590	6149
19	मिजोरम	8911	8807
20	नागालैंड		
21	ओडिशा	106691	122029
22	पुदुचेरी	11	14
23	राजस्थान	76272	57037
24	सिक्किम	62	377
25	तमिलनाडु	17557	19178
26	तेलंगाना	2460	
27	त्रिपुरा	11601	12597
28	उत्तर प्रदेश	2329	3211
29	उत्तराखंड	902	812
30	पश्चिम बंगाल	21789	24333

	कुल	**929767**	**910043**

*अनंतिम

नोट:- संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए लाभार्थियों की संख्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सबमिट किए गए प्रस्ताव/एस.ओ.ई पर आधारित है। लाभार्थियों के आंकड़े अस्थायी हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मिले अपडेटेड इनपुट के आधार पर बदल सकते हैं।

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(शैक्षणिक वर्ष 2023-24)*	(शैक्षणिक वर्ष 2024-25)*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	193	311
2	आंध्र प्रदेश	79780	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	42417	45125
4	असम	58774	77350
5	बिहार	1444	3428
6	छत्तीसगढ़	40552	34022
7	डीएनएच और डीडी	1053	1627
8	गोवा	3274	3163
9	गुजरात	226456	233161
10	हिमाचल प्रदेश	4390	4937
11	जम्मू एवं कश्मीर	7319	15309
12	झारखंड	148676	65104
13	कर्नाटक	123707	125823
14	केरल	13731	13034
15	लद्दाख	9413	8969
16	मध्य प्रदेश	353486	326410
17	महाराष्ट्र	139165	144785
18	मणिपुर	33542	32275
19	मेघालय	76755	73902
20	मिजोरम	31685	28471

21	नागालैंड	42485	41793
22	ओडिशा	213957	230366
23	पुदुचेरी	11	10
24	राजस्थान	168516	
25	सिक्किम	1849	2411
26	तमिलनाडु	25216	28273
27	तेलंगाना	131505	131032
28	त्रिपुरा	33678	33506
29	उत्तर प्रदेश	9676	10427
30	उत्तराखंड	3972	3853
31	पश्चिम बंगाल	37760	29528
	कुल	**2064437**	**1816293**

*अनंतिम

नोट:- संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए लाभार्थियों की संख्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सबमिट किए गए प्रस्ताव/एस.ओ.ई पर आधारित है। लाभार्थियों के आंकड़े अस्थायी हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मिले अपडेटेड इनपुट के आधार पर बदल सकते हैं।
